डिजाइन, इनोवेशन एण्ड इनक्यूबेशन सेन्टर
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

दिनांक 25 सितम्बर 2017 को अपराह्न 4:30 बजे- मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों एवं डी0आई0आई0सी0 समिति के सदस्यों का, स्वर्ण जयन्ती सभागार में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1. प्रो0 श्री निवास सिंह माननीय कुलपति महोदय
2. डा0 आर0के0 शुक्ल, समन्वयक DIIC
3. डा0 के0जी0 उपध्याय, विभागाध्यक्ष विद्युत अभियंत्रण विभाग
4. प्रो0 राकेश कुमार, विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस एवं इन्जी0 विभाग
5. श्री जी0एल0त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष विद्युत कण एवं संचार अभी0
6. डा0 ए0के0 डैनियल, समन्वयक प्रबन्ध अध्ययन केंद्र
7. डा0 पी0पी0 पाण्डेय, विभागाध्यक्ष केमिकल इन्जी0 विभाग
8. डा0 बी0के0 पाण्डेय, विभागाध्यक्ष प्रयुक्त विज्ञान विभाग
9. डा0 स्वाती गंगवार , विभागाध्यक्ष मैकेनिकल इन्जी0 विभाग
10. श्री राम विलास प्रसाद, सहायक समन्वयक DIIC
11. डा0 गौरव वरनवाल, मेम्बर DIIC
12. डा0 रविशंकर, मेम्बर DIIC
13. श्री के0 बी0 सहाय, मेम्बर DIIC
14. श्री विजेन्द्र कुमार पुष्कर, मेम्बर DIIC
15. श्री विकास कुमार, मेम्बर DIIC
16. डा0 धर्मेन्द्र कुमार, विद्युत कण एवं संचार विभाग

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया :-

1. DIIC के गतिविधियों को मैकेनिकल इन्जी0 विभाग सहित समस्त विभागों में संचालित किया जाये।
2. गतिविधियों के संचालन हेतु पूर्व नियमावली में उ0प्र0 शासन के आदेश के अनुरूप संशोधन किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

उपरोक्त बिंदुओं पर सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से निम्न निर्णय लिया गया

I. विश्वविद्यालय के प्रबंध समिति द्वारा DIIC की स्थापना विश्वविद्यालय के समस्त विभागो की गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमोदित किया जा चुका है अत: एसे समस्त विभागों हेतु संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।
II. DIIC की प्रबन्ध समिति द्वारा संस्तुत नवीन नियमावली में आंशिक संशोधन के साथ सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के प्रबन्ध समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा मे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया। संशोधित नियमावली संलग्न है।

**डा0 आर0के0 शुक्ल**
**समन्वयक, DIIC**

**प्रो0 एस0एन0 सिंह**
**कुलपति एवं अध्यक्ष**

पत्रांक/मा0/प्रौ0वि0/डी0आई0आई0सी0/264/2017

दिनांक: 26 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:-

1. वै0स0 कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ
2. कुलसचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. प्रभारी वेबसाइट - को

COORDINATOR, DIIC
M.M.M. डा0 आर0के0 शुक्ल
Gorakhpur
**समन्वयक, DIIC**

डिजाइन, इनोवेशन एण्ड इनक्यूबेशन सेन्टर
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

## डिजाईन इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन सम्बन्धित नियमावली

प्रायः ऐसा देखा गया है कि धरती से जुडे आम आदमी की बहुत सी समस्याओं के कतिपय समाधान अनपढ़ अथवा कम पढे लिखे लोग / संसाधन विहीन व्यक्तियों के पास भी होते हैं । जिनमें से अधिकांश लोग अपने अंवेषणों को क्रियान्वयित करने के अवसर नहीं पाते हैं। इसलिये, विश्वविद्यालय द्वारा डी0आई0आई0सी0 के माध्यम से, यह सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है, कि ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त प्रस्तावों या विचारों को भी स्क्रीनिंग समिति परीक्षित करेंगी और यदि उसमें सम्भावना दिखती है तो उसे मूर्त रूप दिये जाने का प्रयास किया जायेगा । किसी भी विचार / प्रस्ताव को मात्र इसलिये नहीं निरस्त किया जायेगा, क्योंकि वह अपेक्षाकृत कम पढे लिखे, कमजोर अथवा संसाधन विहीन व्यक्ति द्वारा दिया गया है ।

विश्वविद्यालय द्वारा विचारोपरान्त इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन के क्रियाकलापों एवं तत्क्रम में स्थापित केन्द्रों के सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

### 1. उद्देश्य

1) नवीनतम तकनीकी एवं व्यावसायिक विचारों को वास्तविक उत्पाद एवं सेवाओं में परिवर्तित करना ।
2) कृषि, विज्ञान, सेवाओं, तकनीकी आदि जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं मे नवीनतम अन्वेषण को मूर्तरुप में साकार करना ।
3) शिल्पकारों, बुनकरों, कास्तकारों, मैकेनिकल, बढई, कुम्हार, आदि के उपयोगार्थ वैज्ञानिक नवीन अन्वेषण को सुधार कर ऐसे उत्पाद विकसित करना, जो वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक हों ।
4) लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों में उत्पादकता बढाने में सहयोग करना ।
5) उपलब्ध क्षमता के अनुसार उद्योगों/अन्य संस्थाओं को परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराना ।
6) व्यावसायिक उत्पादन में जाने से पूर्व नव उत्पाद का बाजार परीक्षण एवं उत्पाद के सुधार हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना ।

### 2. पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति / संस्था / उद्योग सम्मिलित हो सकेंगे :-

1) विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी अथवा छात्र
2) उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति ।
3) उत्तर प्रदेश में स्थित संस्था / उद्योग ।

### 3. आवेदन की प्रक्रिया

पात्र व्यक्तियों/ संस्था को आवेदन के समय निम्नवत स्वहस्ताक्षरित अभिलेख प्रस्तुत करने होगें। प्रार्थी को इनोवेशन/इनक्यूबेशन का चयन कर आवेदन करना होगा ।

3.1 व्यवसाय योजना / कार्यकारी सारांश / Business Plan/ Executive Summary)
3.2 बौद्धिक संपदा घोषणा कार्यपत्रक / Intellectual Property declaration worksheet)
3.3 सीड निधि के लिए आवेदन (यदि आवश्यक हो) / Application for seed fund (if required)
3.4 आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण / Statement of infrastructure requirements

उम्मीद की गई जानकारी / The details expected are

- कार्यालय के लिये जगह (वर्ग फुट में) / office space (in sq feet)
- पीसी की संख्या (अधिकतम 5) / Number of PCs (maximum of 5)

- अन्य किसी भी विशेष प्रयोगशाला की सुविधा की आवश्यकता है, यदि प्रस्तावित कंपनी को संस्थान में निकटता से किसी भी प्रयोगशाला के साथ मिलना चाहती है, फर्नीचर की आवश्यकताओं, टेलीफोन, कनेक्टिविटी और समान रूप से एनएमएमयूटी से R&D का समर्थन आवश्यक है, यदि कोई हो। any special lab facility needed, if the proposed company/ innovator wants to be closely coupled to any lab in the institute, furniture requirements, telephone, connectivity and alike. R&D Support required from MMMUT, if any.)

3.5 उद्देश्य का विवरण (प्रमोटर्स को डीआईआईसी में इनोवेशन/इनक्यूबेशन करने से क्या फायदे और मूल्य मिलते हैं) / Statement of Purpose (what benefits and values do the promoters see from getting innovated/incubated in DIIC)

3.6 समय सारिणी - कार्य प्रारम्भ करने की प्रस्तावित तारीख और रहने की अनुमानित अवधि / Schedule – proposed date of moving in and anticipated duration of stay.

3.7 (इनक्यूबेशन की स्थिति में) एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख memorandum of understanding (MoU) (यदि कंपनी पहले से ही बनाई गई है, अन्यथा यह इनक्यूवेशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए) / In case of Incubation, Memorandum of Association and Articles of Association (if the company has already been formed, otherwise this would have to be submitted within 30 days from the date of incubation)

## 4. आवेदन पत्रों के परीक्षण की प्रक्रिया

आवेदन प्राप्त होते ही DIIC समन्वयक प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट विचार संख्या (Unique Idea No.) आबंटित करेंगें। विचार का विवरण (Unique Idea No.) सहित एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा, जो इस हेतु संस्था द्वारा निर्धारित किया जायेगा। तदोपरान्त आवेदक को उसके विचार (Unique Idea No.) सहित प्राप्ति की सूचना email अथवा फोन द्वारा प्रेषित की जायेगी। इस email में यह भी अंकित किया जायेगा कि आवेदक का विचारों पर बौधिक अधिकार है और यदि इनोवेशन एवं इंक्यूबेशन प्रक्रिया के बाद विचार किसी व्यवसायिक उपयोग में आता है तो उस विचार से प्राप्त होने वाली धनराशि में से 25 प्रतिशत पर मूल विचार देने वाले व्यक्ति / संस्था का अधिकार होगा। शेष आय इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन संस्था तथा विचारों को व्यावसायिक रूप से उपयोग करने वाली व्यावसायिक संस्था की होगी।

उक्त रीति से प्राप्त आवेदन पत्रों / प्रस्तावों को DIIC समन्वयक विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। समिति निम्नवत गठित होगी :-

| | | |
|---|---|---|
| 1) | DIIC का नामिनी | समन्यक |
| 2) | विश्वविद्यालय से प्रस्ताव से सम्बंधित विधा के अनुसार 2 विषय विशेषज्ञ | सदस्य |

उपरोक्त स्क्रीनिंग समिति इनोवेटर्स/इनक्यूवेटर्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का प्रारम्भिक मूल्यांकन करेगी एवं परीक्षणोपरान्त प्रस्तावों को इनोवेशन / इनक्यूवेशन हेतु संदर्भित करेगी एवं सम्बंधित प्रस्ताव हेतु विश्वविद्यालय के शिक्षकों मे से कम से कम एक मेंटर की नियुक्ति हेतु संस्तुति प्रदान करेगी। परियोजना स्वीकार करने के समय विश्वविद्यालय की मैंनेजमेंट समिति, विषय विशेषज्ञ के साथ विचार - विमर्श कर, यह भी निर्धारित करेगी कि परियोजना कितने समय में पूर्ण की जानी चाहिए। (प्रारुप-3)

इस प्रकार संस्था (DIIC) द्वारा कार्य हेतु लिये गये विचार / परियोजना पर इनोवेटर्स/इनक्यूवेटर्स के साथ समन्वय करते हुए उसे अपना पूर्ण सहयोग देगी तथा अभिनव विचार / परियोजना को साकार करने का प्रयास करेगी। संस्था स्तरीय कोर समिति यह भी निर्णय करेगी कि उसके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव इनोवेशन अथवा इनक्यूबेशन में से किस प्रकृति का है।

## 5. इनोवेटर/इनक्यूवेटर के रूप में कार्य करने हेतु ग्राह्य शुल्क

इस हेतु कार्य करने वाले इनोवेशन / इन्क्यूबेशन केन्द्र निम्न प्रकार धनराशि मूल आवेदक से प्राप्त कर सकेंगे :-

| क | मद का नाम | इनोवेशन कार्य हेतु ग्राहय शुल्क | इन्क्यूबेशन कार्य हेतु ग्राहय शुल्क |
|---|---|---|---|
| 1 | कम्प्यूटर सुविधा | शून्य | रू. 1000 प्रति कम्प्युटर प्रति माह |
| 2 | प्रिंन्टर सुविधा | शून्य | रू. 1.00 प्रति पृष्ठ |
| 3 | इन्टरनेट सुविधा | शून्य | रू. 500.00 प्रति माह |
| 4 | लाइब्रेरी | शून्य | शून्य |
| 5 | लैबोरेट्री सुविधा | शून्य | शून्य |
| 6 | अध्यापक / विद्यार्थियों का तकनीकी ज्ञान व उनका सहयोग | शून्य | शून्य |
| 7 | संस्था में उपलब्ध स्किल्ड मैन पावर का सहयोग | शून्य | शून्य |
| 8 | अन्तर्विभागीय सहायता | शून्य | शून्य |
| 9 | विद्युत व्यय | शून्य | वस्तविकता के आधार पर |
| 10 | कंज्यूमेबिल्स | वास्तविक व्यय | वास्तविक व्यय |
| 11 | स्थान / आफिस किराया (यदि आवश्यक हो) | रू. 2.00 प्रति वर्ग फिट अधिकतम 500.00 प्रति माह(अधिकतम एक माह ) | रू. 10.00 प्रति वर्गफीट अधिकतम 2500.00 प्रति माह तथा अधिकतम एक माह हेतु |
| 12 | छात्रावास सुविधा | रू. 300.00 प्रति माह अधिकतम 1 माह के लिए | रू. 500.00 प्रति माह अधिकतम 1 माह के लिए । |
| 13 | मेस सुविधा | वास्तविक | वास्तविक |
| 14 | अन्य सुविधायें जो संस्था आवश्यक समझे | वास्तविक | वास्तविक |

6. **प्रोजेक्ट की समीक्षा :** प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की मासिक रुप से इनोवेटर / इन्क्यूबेटर और विश्वविद्यालय द्वारा नामित मेंटर (दोनों के हस्ताक्षर से प्रारूप 3) डी0आई0आई0सी0 समन्वयक को प्रस्तुत किया जायेगा । प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा के लिये डी0आई0आई0सी0 समन्वयक द्वारा समय-समय पर डी0आई0आई0सी0 द्वारा नामित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिये प्रोजेक्ट के सदस्यों को बुलाया जायेगा, यहीं समिति प्रोजेक्ट को आगे ले जाने या बन्द करने के बारे में संस्तुति देगी।
7. **नियमों का संशोधन:** उपरोक्त समस्त नियमों का संशोधन समय-समय पर विश्वविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त अथवा मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में तत्काल प्रभाव से लागू किये जा सकेंगें।

प्रारूप-1

## इनोवेशन / इन्क्यूबेशन हेतु प्रथम बार विचार / प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप :-

**पृष्ठांकित अभिलेख भी संलग्न करें**

1. पूरा नाम :
2. कटेगरी : अ. सामान्य ☐ ब. अन्य पिछडा ☐ स. अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐
3. पिता का नाम :
4. आवेदक की जन्म तिथि
5. आवेदक की शैक्षिक योग्यता :
6. आवेदक का व्यवसाय :
7. आय (प्रति माह) :
8. आवेदक का उत्तर प्रदेश मे पता :
9. पते में अंकित जनपद :
10. पते का पिन कोड :
11. आवेदक का मोबाइल नं0 :
12. आवेदक का अन्य सम्पर्क दूरभाष :
13. आवेदक का ई-मेल :
14. आवेदन वाले विचार / प्रस्ताव का विषय :
15. आवेदक का विचार :

    कृपया एक टिक ✓ करें ।

    क- सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण ☐

    ख- गैर सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण ☐
16. विचार विकसित करने से निम्न में से किस क्षेत्र में लाभ होगा :-

| कोड संख्या | विषय | कोड संख्या | विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | कृषि | 2 | ऊर्जा |
| 3 | मशीन पर कार्य की सुगमता बढाना | 4 | जल |
| 5 | प्रक्रिया का सरलीकरण | 6 | सुरक्षा |
| 7 | पर्यावरण की सुरक्षा | 8 | भ्रष्टाचार निवारण |
| 9 | अन्य, उल्लेख करें | | |

**आवेदक का हस्ताक्षर**

## कार्यालय उपयोग हेतु

विचार संख्या Unique Idea No. :

प्रस्ताव इनोवेशन / इनक्यूवेशन के अंतर्गत स्वीकृत/ अस्वीकृत/संशोधन हेतु संस्तुति प्रदान की गयी

**Dy. Coordinator** Coordinator

DIIC MMM University of Technology, Gorakhpur

## प्रारूप-1(A)

## आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख

A-1: व्यवसाय योजना / कार्यकारी सारांश / Business Plan/ Executive Summary

A-2: बौद्धिक संपदा घोषणा कार्यपत्रक / Intellectual Property declaration worksheet)

A-3: सीड निधि के लिए आवेदन (यदि आवश्यक हो) / Application for seed fund (if required)

आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण / Statement of infrastructure requirements

A-4: कार्यालय के लिये जगह (वर्ग फुट में) / office space (in sq feet)

A-5: पीसी की संख्या (अधिकतम 5) / Number of PCs (maximum of 5)

A-6: अन्य किसी भी विशेष प्रयोगशाला की सुविधा की आवश्यकता है, यदि प्रस्तावित कंपनी को संस्थान में निकटता से किसी भी प्रयोगशाला के साथ मिलना चाहती है, फर्नीचर की आवश्यकताओं, टेलीफोन, कनेक्टिविटी और समान रूप से एमएमएमयूटी से R&D का समर्थन आवश्यक है, यदि कोई हो। Any special lab facility needed, if the proposed company/ innovator wants to be closely coupled to any lab in the institute, furniture requirements, telephone, connectivity and alike. R&D Support required from MMMUT, if any.)

A-7: उद्देश्य का विवरण (प्रमोटर्स को डीआईआईसी में इनक्यूबेशन करने से क्या फायदे और मूल्य मिलते हैं) / Statement of Purpose (what benefits and values do the promoters see from getting incubated in DIIC)

A-8: समय सारिणी - कार्य प्राम्भ की प्रस्तावित तारीख और रहने की अनुमानित अवधि / Schedule – proposed date of moving in and anticipated duration of stay.

A-9: एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख memorandum of understanding (MoU) (यदि कंपनी पहले से ही बनाई गई है, अन्यथा यह इनक्यूबेशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए) / Memorandum of Association and Articles of Association (if the company has already been formed, otherwise this would have to be submitted within 30 days from the date of incubation)

## प्रारूप-2

## स्क्रीनिंग समिति की आख्या एवं संस्तुति

1. परियोजना का संक्षिप्त नाम :

2. परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है (आवेदन से) :

3. इनोवेटर / इन्क्यूबेटर नाम व पता तथा सम्पर्क नम्बर :

4. विश्वविद्यालय नवप्रवर्तन / नवाचार अनुश्रवण समिति द्वारा संस्था को प्रस्ताव प्रेषित करने का दिनांक :

5. विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना स्वीकार करने का दिनांक :

6. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय विशेषज्ञ (मेण्टर) का नाम जिसके अधीन परियोजना पर कार्य किया जायेगा :

7. कोर समिति द्वारा परियोजना पूर्ण करने की प्रथम निर्धारित तिथि :

8. अनुमानित व्यय :

9. अन्य विवरण :

10. संस्तुति

| | | |
|---|---|---|
| Name & Signature<br>Member- 1 | Name & Signature<br>Member- 2 | Name & Signature<br>Member- 3 |

## प्रारूप -3

## मासिक प्रगति आख्या

1. परियोजना का संक्षिप्त नाम :

2. परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है (आवेदन से) :

3. इनोवेटर / इन्क्यूबेटर नाम व पता तथा सम्पर्क नम्बर :

4. विश्वविद्यालय नवप्रवर्तन / नवाचार अनुश्रवण समिति द्वारा संस्था को प्रस्ताव प्रेषित करने का दिनांक :

5. विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना स्वीकार करने का दिनांक :

6. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय विशेषज्ञ (मेण्टर) का नाम जिसके अधीन परियोजना पर कार्य किया जायेगा :

7. कोर समिति द्वारा परियोजना पूर्ण करने की प्रथम निर्धारित तिथि :

8. अनुमानित व्यय :

9. अन्य विवरण

10. संस्तुति :

**इनोवेटर / इन्क्यूबेटर हस्ताक्षर एवं नाम**

***परियोजना मेण्टर- हस्ताक्षर एवं नाम***